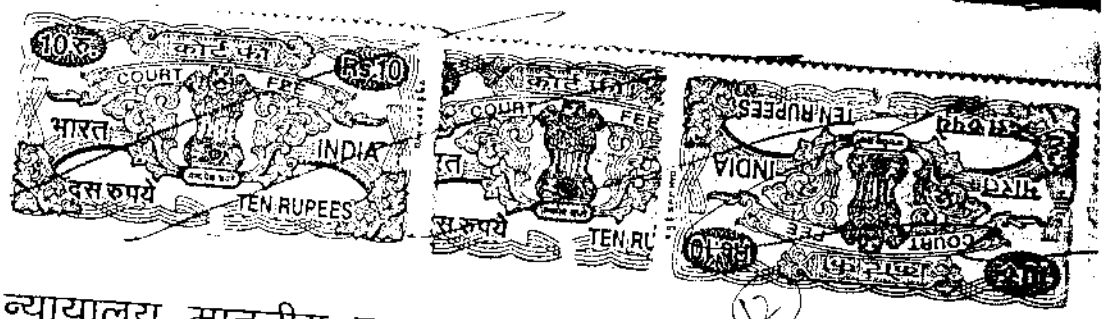

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

बैन्च भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. निगरानी 2011-2012

भगवती प्रसाद पुत्र वल्देव प्रसाद कायस्थ
निवासी अन्दर किला विदिशा
जिला विदिशा म.प्र.

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 24.11.2012 न्यायालय श्रीमान अपर आयुकत महोदय, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 476 अपील 2010-2011 भगवती प्रसाद अपीलांट बनाम शासन तथा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्यारसपुर जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 19 अपील 2010-2011 आदेश दिनांक 26.04.11 भगवती प्रसाद अपीलांट बनाम म.प्र. शासन रिस्पोन्डेंट एवं तहसीलदार महोदय गुलाबगंज के प्रकरण क्रमांक 185 अ-6-2009/2010 भगवती प्रसाद बनाम शासन आदेश दिनांक 27.09.2010 अपील अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू. राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायालय विदिशा के इजरा प्रकरण क्रमांक 828ए/76-85 दिनांक 13.05.88 में हुये राजीनामा के आधारपर तथा साथ में सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.05.88 के आधार पर ग्राम खेरुआ पडरात की विवादित भूमि का नामांतरण किये जावे हेतु तहसील गुलाबगंज में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे

XXIX(a)BR(H)-11

(63)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग. 1992–एक/13

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–6–14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.पी. सक्सैना उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में व्यवहार न्यायालय की डिक्री दिनांक 13–5–88 के कियान्वयन हेतु दिनांक 4–6–2000 को प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । तहसीलदार द्वारा डिक्री प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदन निरस्त किया गया, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों का संयोजन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है साथ ही आवेदक द्वारा पक्षकार बनाए गए शासन द्वारा कोई राजीनामा नही किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जाये । अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । 3– आवेदक सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रशा0 सदस्य	